

बेटी को खोया, दोषियों को हो उम्रकैद: सौम्या की मां

‘हत्याए वहीं भुगते जो परिवार को सहना पड़ा’

पायनियर समाचार सेवा | नई दिल्ली

पत्रकार सौम्या विश्वनाथ की मां माधवी हमने उनकी बेटी को खो दिया है तो दोषियों के लिए आजीवन कारावास की मांग करते हैं। उन्हें वहीं भुगता जाएगा।

माधवी ने मीडिया से बातचीत में कहा, हमने अपनी बेटी को खो दिया है तो दोषियों के लिए आजीवन कारावास की मांग करते हैं। उन्हें वहीं भुगता जाएगा। इस घटना की विशेष पुलिस आयुक्त (विशेष शास्त्री) एवं जी एस धालीवाल भी दिवंगत पत्रकार सौम्या के परिवार के सदस्यों के साथ अदालत में मौजूद थे। धालीवाल पूर्व में पुलिस उग्रवक्ता (डीसीपी) दर्शक के रूप में तैनात थे और उनकी टीम ने ही सौम्या विश्वनाथ की हत्या मामले का खुलासा किया था। धालीवाल ने कहा कि यह बहुत ही केंद्रीय एजेंसी को स्थानांतरित किया जाए।



मीडिया से बात करते विशेष पुलिस आयुक्त जीएस धालीवाल व सौम्या का परिवार। महीने से अधिक का समय लगा। उन्होंने और अरोपी के बीच कोई संपर्क नहीं था। संवाददाताओं से कहा, सौम्या विश्वनाथ के चलती गाड़ी से एक गोली चलाई गई जो सौम्या को लागी और उनकी मौत हो गई। धालीवाल ने रखा और नहीं चाहते थे कि मामला किसी कहा कि सौम्या के परिवार के सदस्य घटना वाले दिन से लेकर मामला सुलझने तक मामले की हर समीक्षा बैठक में शामिल हुई।

क्या क्या हुआ

1. 28 मार्च, 2009 रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को विश्वनाथ की हत्या के अरोप में गिरफ्तार किया गया।

2. 22 जून 2009 पांचों अरोपियों के खिलाफ पहले आरोपत्र दाखिल किया गया।

3. 6 फरवरी, 2010 आरोपियों के खिलाफ अरोप तय किए गए।

4. 9 मई, 2011 मकोका में अरोप तय

5. 23 अप्रैल, 2010 मुकदमा शुरू हुआ,

6. 27 फरवरी, 2019 दिल्ली उच्च न्यायालय ने शीघ्र सुनवाई का आवेदन दिया और निचली अदालत को सप्ताह में कम से कम तीन बार मामले की सुनवाई करने का निर्देश।

7. 6 अक्टूबर, 2023 बचाव और अधियोजन पक्ष की अंतिम दलीलें समाप्त हुईं।

13 अक्टूबर, 2023 अदालत ने अपना फैसला सुनिश्चित रखा।

8. 18 अक्टूबर, 2023 रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को हत्या और मकोका प्रावधानों के तहत दोषी

हत्यारा गया।

मंगोलपुरी में पिक-अप वैन ने स्कूटी को मारी टक्कर, दो युवकों की मौत

● सड़क दुर्घटना के बाद आरोपी चालक फटार, एफआईआर दर्ज

पायनियर समाचार सेवा | नई दिल्ली

मंगोलपुरी इलाके में बुधवार को सुबह एक पिक-अप वैन ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में दोपहिया वाहन पर सवार दोनों व्यक्तियों की मौत हो गई। पुलिस को संदेश है कि दोनों ने हेलीमैट नहीं पहना था। इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। दुर्घटना के बाद पिक-अप वैन का चालक वहां से भाग गया। मृतकों की पहचान हिंसा और प्रियांशु के रूप में हुई है।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, बाहरी इलाके के रिंग रोड स्थित वेस्ट एनक्लेव के पास बुधवार सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। इस दुर्घटना में पिकअप वैन मधुबन चैक से पीरागढ़ी की तरफ आ रही थी। इस दौरान जैसे ही पिकअप वैन मंगोलपुरी फ्लाइओर के बाहर रहा था। दोनों मृतकों की सुनवाई करने का निर्देश।

जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर लगने के बाद स्कूटी सवार दोनों युवक दूर जाकर गिरा, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोट आई।

सुगंधा पाक योंके पास पहुंची पुलिस ने आनन्दपानन में दोनों को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान डॉकरोंने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान हिंसा और प्रियांशु के रूप में हुई है।

औद्योगिक प्रदूषण पर लगाम लगाएगी सरकार

● 20 अक्टूबर से 20

नवंबर तक चलाया जाएगा अभियान : दाय



गीतिका शर्मा की मां की आत्महत्या के मामले में हाई कोर्ट ने मांगा रिकॉर्ड नई दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिवंगत विमान परिवारिका गीतिका शर्मा की आत्महत्या के लिए उकासने के मामले में निचली अदालत से रिकॉर्ड तलब किया है।

निचली अदालत द्वारा पूर्व मंत्री गोपाल कोंडा का समन रद्द करने के अदेश को चुनौती वाली गाँधी राज्य सरकार की विचारिका पर उच्च न्यायालय ने यह कदम उत्तरा किया। गीतिका की मौत के छह महीने बाद उनकी मां की मौत हो गई थी। न्यायमूर्ति ने कहा कि निचली अदालत के रिकॉर्ड 31 अक्टूबर तक डिजिटल रूप में तलब किया जाए।

कोंडा को निचली अदालत के 26 अक्टूबर 2020 के आदेश को चुनौती 31 अक्टूबर को तोड़ा रखा गया। निगम अनेक अधिकारी एवं अन्य व्यक्तियों के लिए तारीख नहीं है। निगम का यह अधियान आगे भी जारी रहेगा।

दिल्ली नगर निगम के अनुसार, निगम अनेक अधिकारी क्षेत्र में आगे वाले सभी 12 क्षेत्रों में अन्यतों द्वारा वाली गाँधी की पुनरुक्षण व्याचिका 31 अक्टूबर को सुनवाई हुई।

निगम का यह अधियान आगे भी राजी रहेगा।

दिल्ली नगर निगम के अनुसार, निगम अनेक अधिकारी क्षेत्र में आगे वाले सभी 12 क्षेत्रों में अन्यतों द्वारा वाली गाँधी की पुनरुक्षण व्याचिका 31 अक्टूबर को सुनवाई हुई।

यह कार्रवाई मुख्य रूप से अनाधिकृत कॉलोनियों एवं कृषि भूमि पर की गई है। इसी क्षेत्र में बुधवार को तोड़ा रखा गया।

कार्रवाई के दौरान सुनवाई की गई।

कार्रवाई में भवनों की कार्रवाई की गई।

निठारी हत्याकांड पीड़ित परिवार

निठारी हत्याकांड के प्रमुख संदिधों को उच्च न्यायालय से राहत मिलने से पैदित परिवार न्याय का प्रदाता व्यवस्था, न्यायिक प्रणाली तथा समाज के रूप में हमारी आदत बन गई है। जेसिका से आरपि तक निठारी हत्याकांड के 19 गरीब बच्चे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-एनसीआर से थे। उनकी जघन्यतम हत्याओं का खुलासा हुआ था, लेकिन अंततः हमारी विद्वान् अदालतों ने कहा कि जाचकता यह नहीं सिद्ध कर पाए कि किंसंदिध-आरोपी इसमें संलिप्त थे। इसलिए उनको रिहा करने के आदेश दे दिए गए। जांचकार्डों का स्थानान्तरण ही गया, परोन्नति ही गई, वे सेवानिवृत्त हो गए या मर गए। इसलिए उनकी भी कोई जबाबदेही नहीं है। निठारी हत्याकांड में इताहावाद उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार घेरेलू नौकर सुरिदर कोली तथा उसके मालिक मोनिदर सिंह पंधर को बरी कर दिया गया है। नोयडा में यह घटना 2005-06 में हुई थी और इसके विस्तृत विवरण सालों में सालों लगे थे। निठारी हत्याकांड खासकर इसलिए जघन्यतम है व्यक्तिगत इसमें बड़ी निर्माता से मासूम बच्चों की हत्या हुई थी जिनमें से अनेक की लाशें नजदीकी नाले से मिली थीं। बहुत सी लाशों के भौतीय अंग निकाल लिए गए थे जिससे संगठित 'मानव अंग व्यापार' का शक होता है। लेकिन अधकचरी जांच में अनेक कामियाँ थीं जिससे न्यायिक व्यवस्था में आरोपियों के बरी होने का रास्ता खुल गया। हालांकि, कोली और पंधर को 2009 में दोषी पाया गया था, पर उच्च न्यायालय ने हाल ही में इस फैसले को उल्लंघन कर दिया क्योंकि उसके विचार से इसमें समुचित सबूत तथा कठिन गवाहों की स्टीक गवाही नहीं थी।

भारत में अपराधों के इतिहास में एक सीरीज व्यापक हत्याकांड एक दिल देने का काला कांड है जिसमें मानवीयता का धोर पतन सामने आता है। इस हत्याकांड ने पूरे देश को दहला दिया था व्यक्तिगत इसमें अनेक लाशों व बच्चों को अकल्पन्यक कूरता का शिकार बनाया गया था। निठारी हत्याकांड में अनेक अपहरण, यौन अपराध व हत्यायें समाहित हैं। पीड़ित अचानक गायब हो जाते थे और अपने पांछे पेशान परिवार छोड़ देते थे। जांच के समय युलिस से पंधर व कोली के खिलाफ मजबूत सबूत एकत्र किए थे। उनका घर एक कल्पागाह को तहत था जिसमें अनेक गायब लाशों की लाशों के हिस्से मिले थे। सीबीआर ने नजदीकी नाले से अनेक लाशों और उनके हिस्से बारामद किए थे। उसने प्रमुख संदिधों के खिलाफ इस मामले को 'फूलपूर' बनाया था। लेकिन ऐसा लगता है कि न्याय प्रभावशाली व गरीब लोगों पर समय लगता है जो अपनी गोदामों की बाहर की अधिकारी पीड़ित उत्तर प्रदेश के विवाही थे और उनको बोरी कोई दखल नहीं था और सुकदमा लड़ने के संसाधन उनके पास नहीं थे।

निठारी हत्याकांड निरिचत रूप से भारतीय न्याय प्रणाली का सुस्त, विकृत एवं निराशाजनक चेहरा पेश करता है। निठारी हत्याकांड कोई स्थानीय त्रासदी न होकर राष्ट्रीय शर्म का विषय माना जा सकता है। इससे वे व्यवस्थागत मुद्रे सामने आते हैं जो दंड न्याय प्रणाली को प्रभावित कर रहे हैं। इनमें जबाबदेही की कमी, फैसलाकारी की संवैधानिक संवाधानों की कमी तथा फैसला मिलने में बहुत अधिक विलम्ब शामिल हैं। इस प्रकरण से भारतीय दंड न्याय प्रणाली में तत्काल व समय सुधारों की आवश्यकता प्रकट होती है। ऐसा होने पर ही हम न्याय के पथ में विकृतियों से बच सकते हैं। प्रमुख संदिधों को रिहा करने का निर्णय समाज की समूहिक चेतना पर हमला है।

नियंत्रणों से डिक्काम पर संकट

राज्य नियंत्रणों से मुक्ति तथा विद्युत वितरण को स्वतंत्र करने पर ही डिस्काम मुनाफे में आ सकते हैं। उनको राज्यों द्वारा दी गई 'खैरातों' से संकट का सामना करना पड़ता है।

उत्तम गुप्ता
(लेखक, नीति विश्लेषक)

केन्द्र सरकार विद्युत वितरण कंपनियों वा डिस्काम को वित्तीय संकट से बाहर निकालने तथा उनको स्वस्थ बनाने के सभी प्रयास कर रही है, लेकिन याचक सरकारें इन प्रयासों में बाधा डालती हैं। ये विद्युत सालाई श्रृंखला में केंद्रीय स्थान पर हैं और विजली पैदा करने वाली कंपनियों या जेनकोस से विजली खरीद कर उनको उपभोक्ताओं को वितरित करती हैं।

डिस्काम का वित्तीय संकट मुख्यतः इस कारण है कि वे अपने द्वारा खरीदी विजली एवं योनियां या राजस्व नहीं एकत्र कर पाते हैं। दो दशक से ज्यादा समय से वे साल दो साल बाया उठा रही हैं। इन नुकसानों की भरपार्ता के अंतिम तिथि लगाया जा सकता है। इसके वित्तीय संकट मुख्यतः इस कारण है कि वे अपने द्वारा खरीदी विजली भूगतान हेतु द्वारा खरीदी राजस्व नहीं एकत्र कर पाते हैं। दो दशक से ज्यादा समय से वे साल दो साल बाया उठा रही हैं। इन नुकसानों की भरपार्ता के अंतिम तिथि लगाया जा सकता है।

इसके साथ ही उनको राज्यों को विक्री से प्राप्त राजस्व में कमी का सामना करना पड़ता है जिसे एसीएस-एआरआर अंतर विजली एवं एंडीएंडीसी नुकसान 7,22.32 प्रतिशत थे, जबकि एसीएस-एआरआर अंतर 0.54 रुपया प्रति केडब्ल्यूएच था। इन दोनों समग्र तकीकों व वाणिज्यिक नुकसान-एटीएंडीसी धारा शामिल हैं जिसे विजली की चोरी कहा जा सकता है।

इसके विक्री से प्राप्त राजस्व में कमी का सामना करना पड़ता है जिसे एसीएस-एआरआर अंतर कर्कानी के अंतर विजली एवं एंडीएंडीसी नुकसान 7,22.32 प्रतिशत थे, जबकि एसीएस-एआरआर अंतर 0.54 रुपया प्रति केडब्ल्यूएच था। इन दोनों समग्र तकीकों का काम के बिल एकत्र न कर पाने के दो मुख्य कारण हैं। इनमें समग्र तकीकों व वाणिज्यिक नुकसान-एटीएंडीसी धारा शामिल हैं जिसे विजली की चोरी कहा जा सकता है।

इसके विक्री से प्राप्त राजस्व में कमी का सामना करना पड़ता है जिसे एसीएस-एआरआर अंतर विजली एवं एंडीएंडीसी नुकसान 7,22.32 प्रतिशत थे, जबकि एसीएस-एआरआर अंतर 0.54 रुपया प्रति केडब्ल्यूएच था। इन दोनों समग्र तकीकों का काम के बिल एकत्र न कर पाने के दो मुख्य कारण हैं। इनमें समग्र तकीकों व वाणिज्यिक नुकसान-एटीएंडीसी धारा शामिल हैं जिसे विजली की चोरी कहा जा सकता है।

इसके विक्री से प्राप्त राजस्व में कमी का सामना करना पड़ता है जिसे एसीएस-एआरआर अंतर विजली एवं एंडीएंडीसी नुकसान 7,22.32 प्रतिशत थे, जबकि एसीएस-एआरआर अंतर 0.54 रुपया प्रति केडब्ल्यूएच था। इन दोनों समग्र तकीकों का काम के बिल एकत्र न कर पाने के दो मुख्य कारण हैं। इनमें समग्र तकीकों व वाणिज्यिक नुकसान-एटीएंडीसी धारा शामिल हैं जिसे विजली की चोरी कहा जा सकता है।

इसके विक्री से प्राप्त राजस्व में कमी का सामना करना पड़ता है जिसे एसीएस-एआरआर अंतर विजली एवं एंडीएंडीसी नुकसान 7,22.32 प्रतिशत थे, जबकि एसीएस-एआरआर अंतर 0.54 रुपया प्रति केडब्ल्यूएच था। इन दोनों समग्र तकीकों का काम के बिल एकत्र न कर पाने के दो मुख्य कारण हैं। इनमें समग्र तकीकों व वाणिज्यिक नुकसान-एटीएंडीसी धारा शामिल हैं जिसे विजली की चोरी कहा जा सकता है।

इसके विक्री से प्राप्त राजस्व में कमी का सामना करना पड़ता है जिसे एसीएस-एआरआर अंतर विजली एवं एंडीएंडीसी नुकसान 7,22.32 प्रतिशत थे, जबकि एसीएस-एआरआर अंतर 0.54 रुपया प्रति केडब्ल्यूएच था। इन दोनों समग्र तकीकों का काम के बिल एकत्र न कर पाने के दो मुख्य कारण हैं। इनमें समग्र तकीकों व वाणिज्यिक नुकसान-एटीएंडीसी धारा शामिल हैं जिसे विजली की चोरी कहा जा सकता है।

इसके विक्री से प्राप्त राजस्व में कमी का सामना करना पड़ता है जिसे एसीएस-एआरआर अंतर विजली एवं एंडीएंडीसी नुकसान 7,22.32 प्रतिशत थे, जबकि एसीएस-एआरआर अंतर 0.54 रुपया प्रति केडब्ल्यूएच था। इन दोनों समग्र तकीकों का काम के बिल एकत्र न कर पाने के दो मुख्य कारण हैं। इनमें समग्र तकीकों व वाणिज्यिक नुकसान-एटीएंडीसी धारा शामिल हैं जिसे विजली की चोरी कहा जा सकता है।

इसके विक्री से प्राप्त राजस्व में कमी का सामना करना पड़ता है जिसे एसीएस-एआरआर अंतर विजली एवं एंडीएंडीसी नुकसान 7,22.32 प्रतिशत थे, जबकि एसीएस-एआरआर अंतर 0.54 रुपया प्रति केडब्ल्यूएच था। इन दोनों समग्र तकीकों का काम के बिल एकत्र न कर पाने के दो मुख्य कारण हैं। इनमें समग्र तकीकों व वाणिज्यिक नुकसान-एटीएंडीसी धारा शामिल हैं जिसे विजली की चोरी कहा जा सकता है।

इसके विक्री से प्राप्त राजस्व में कमी का सामना करना पड़ता है जिसे एसीएस-एआरआर अंतर विजली एवं एंडीएंडीसी नुकसान 7,22.32 प्रतिशत थे, जबकि एसीएस-एआरआर अंतर 0.54 रुपया प्रति केडब्ल्यूएच था। इन दोनों समग्र तकीकों का काम के बिल एकत्र न कर पाने के दो मुख्य कारण हैं। इनमें समग्र तकीकों व वाणिज्यिक नुकसान-एटीएंडीसी धारा शामिल हैं जिसे विजली की चोरी कहा जा सकता है।

इसके विक्री से प्राप्त राजस्व में कमी का सामना करना पड़ता है जिसे एसीएस-एआरआर अंतर विजली एवं एंडीएंडीसी नुकसान 7,22.32 प्रतिशत थे, जबकि एसीएस-एआरआर अंतर 0.54 रुपया प्रति केडब्ल्यूएच था। इन दोनों समग्र तकीकों का काम के बिल एकत्र न कर पाने के दो मुख्य कारण हैं। इनमें समग्र तकीकों व वाणिज्यिक नुकसान-एटीएंडीसी धारा शामिल हैं जिसे विजली की चोरी कहा जा सकता है।

इसके विक्री से प्राप्त राजस्व में कमी का सामना करना पड़ता है जिसे एसीएस-एआरआर अंतर विजली एवं एंडीएंडीसी नुकसान 7,22.32 प्रतिशत थे, जबकि एसीएस-एआरआर

